



प्रधान आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क, अहमदाबाद
सीमा शुल्क भवन, आल इंडीया रेडीऑ के बाजू में, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 38 00 09
दूर भाष (079) 2754 46 30 फेक्स (079) 2754 23 43
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS, AHMEDABAD
CUSTOMS HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 38 00 09
PHONE : (079) 2754 46 30 FAX (079) 2754 23 43

निबन्धित पावती डाक द्वारा / By REGISTERED POST A.D.

फा. सं./ F.No. VIII/10-21/Commr/O & A/2014

आदेश की तारीख/Date of Order :25.04.2018

जारी करने की तारीख/Date of Issue :25.04.2018

द्वारा पारित/Passed by:- भारती चव्हाण, प्रधान आयुक्त
Bharati Chavan, Principal Commissioner

मूल आदेश संख्या /

Order-In-Original No. : AHM-CUSTM-000-COM-006-18-19 Dated 25.04.2018

1. जिस व्यक्ति(यों) को यह प्रति भेजी जाती है, उसे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती है।
1. This copy is granted free of charge for private use of the person(s) to whom it is sent.
2. इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस आदेश की प्राप्ति से तीन माह के भीतर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय न्यायाधिकरण, अहमदाबाद पीठ को इस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। अपील सहायक रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलिय न्यायाधिकरण, दुसरी मंजिल, बहुमाली भवन, गिरिधर नगर पुल के बाजू में, गिरिधर नगर, असारवा, अहमदाबाद-380 004 को सम्बोधित होनी चाहिए।
2. Any person deeming himself aggrieved by this Order may appeal against this Order to the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Ahmedabad Bench within three months from the date of its communication. The appeal must be addressed to the Assistant Registrar, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, 2nd Floor, Bahumali Bhavan, Nr. Girdhar Nagar Bridge, Girdhar Nagar, Asarwa, Ahmedabad – 380004
3. उक्त अपील प्रारूप सं. सी.ए.3 में दाखिल की जानी चाहिए। उसपर सीमा शुल्क (अपील) नियमावली, 1982 के नियम 3 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। उक्त अपील को चार प्रतियाँ में दाखिल किया जाए तथा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, उसकी भी उतनी ही प्रतियाँ संलग्न की जाएँ (उनमें से कम से कम एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए)। अपील से सम्बंधित सभी दस्तावेज भी चार प्रतियाँ में अग्रेषित किए जाने चाहिए।
3. The Appeal should be filed in Form No. C.A.3. It shall be signed by the persons specified in sub-rule (2) of Rule 3 of the Customs (Appeals) Rules, 1982. It shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order appealed against (one of which at least shall be certified copy). All supporting documents of the appeal should be forwarded in quadruplicate.
4. अपील जिसमें तथ्यों का विवरण एवं अपील के आधार शामिल हैं, चार प्रतियों में दाखिल की जाएगी तथा उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, उसकी भी उतनी ही प्रतियाँ संलग्न की जाएंगी (उनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी)।

4. The Appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order appealed against (one of which at least shall be a certified copy.)
5. अपील का प्रपत्र अंग्रेजी अथवा हिन्दी में होगा एवं इसे संक्षिप्त एवं किसी तर्क अथवा विवरण के बिना अपील के कारणों के स्पष्ट शीर्षों के अंतर्गत तैयार करना चाहिए एवं ऐसे कारणों को क्रमानुसार क्रमांकित करना चाहिए।
5. The form of appeal shall be in English or Hindi and should be set forth concisely and under distinct heads of the grounds of appeals without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
6. केंद्रीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ऐ के उपबन्धों के अंतर्गत निर्धारित फीस जिस स्थान पर पीठ स्थित है, वहां के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा से न्यायाधिकरण की पीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम पर रेखांकित माँग ड्राफ्ट के जरिए अदा की जाएगी तथा यह माँग ड्राफ्ट अपील के प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।
6. The prescribed fee under the provisions of Section 129A of the Customs Act, 1962 shall be paid through a crossed demand draft, in favour of the Assistant Registrar of the Bench of the Tribunal, of a branch of any Nationalized Bank located at the place where the Bench is situated and the demand draft shall be attached to the form of appeal.
7. इस आदेश के विरुद्ध सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में शुल्क के 7.5% जहां शुल्क अथवा शुल्क एवं जुर्माना का विवाद है अथवा जुर्माना जहां शीर्ष जुर्माना के बारे में विवाद है उसका भुक्तान करके अपील की जा सकती है।
7. An appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 7.5% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute".
8. न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार संलग्न किए गए आदेश की प्रति पर उपयुक्त न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।
8. The copy of this order attached therein should bear an appropriate court fee stamp as prescribed under the Court Fees Act, 1870.

विषय: -

Sub : (i) Show Cause Notice from F.No VIII/10-21/Commr/O&A/2014 dated 28.08.2014 issued by the Commissioner of Customs, Ahmadabad to M/s Sanmati Coal & Cokes Pvt Ltd.
